

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023

जयपुर, दिनांक 14.06.2023

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल,  
राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर।

विषय:-नव सृजित अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3 सीकर, झालावाड़, संख्या-2 सवाईमाधोपुर, बालोतरा जिला बाइमेर एवं बांदीकुई जिला दौसा हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.06.2023 के द्वारा नव सृजित अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3 सीकर, झालावाड़, संख्या-2 सवाईमाधोपुर, बालोतरा जिला बाइमेर एवं बांदीकुई जिला दौसा हेतु निम्नलिखित पद सृजित करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैंड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मेट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीएसडी अधिकारी	-	-	-	1	5
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	9300-34800	PB-II/L-10/ 3600	33800	1	5
3	शेरिफतेदार ग्रेड-III	5200-20200	PB-I/L-8/ 2800	26300	1	5
4	रीडर ग्रेड-III	5200-20200	PB-I/L-8/ 2800	26300	1	5
5	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/ 2400	20800	3	15
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/ 1700	17700	3	15
	कुल				10	50

साथ ही इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.06.2023 के द्वारा नव सृजित अतिरिक्त/सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय गोविंदगढ़-जिला अलवर, श्रीकरणपुर-जिला श्रीगंगानगर, सादुलशहर-जिला श्रीगंगानगर, नगर-जिला भरतपुर एवं संख्या-27 जयपुर महानगर-II मुख्यालय बगरु हेतु निम्नलिखित पद सृजित करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैंड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मेट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठसीन अधिकारी	-	-	-	1	5
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	9300-34800	PB-II/L-10/ 3600	33800	1	5
3	शेरिफतेदार ग्रेड-III	5200-20200	PB-I/L-8/ 2800	26300	1	5
4	रीडर ग्रेड-III	5200-20200	PB-I/L-8/ 2800	26300	1	5
5	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/ 2400	20800	3	15
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/ 1700	17700	3	15
कुल					10	50

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये प्रति न्यायालय निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
5	पीठसीन अधिकारी के कक्ष हेतु 1 A.C.	0.45
	योग	6.02

यह व्यय लेखासूची 2014-00-105-(03)-[00]01(राज्य निधि)(प्रतिबद्ध) के अन्तर्गत प्रभार्य होगा।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः भवन निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुये केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालय भवन के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता तकमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

उक्त नवीन न्यायालयों हेतु राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने तक के लिये निजी भवन किराये पर लिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 102301324 दिनांक 23.05.2023 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव